प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.09.2024

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा लूट व स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचा, 01जिन्दा मिस कारतूस, 01 खोखा कारतूस, लूट की 01 चैन पीली धातू, लूट व स्नैचिंग के सामान को बेचकर प्राप्त 32,300/- रू0 व घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 12.09.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा लूटपाट की घटनाओं की रोकथाम हेतु चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. अरशु उर्फ समीर पुत्र यासीन निवासी 27/20 गली न0 6 संगम विहार थाना तिमारपुर बजीराबाद दिल्ली उम्र 23 बर्ष 2. नोसीन पुत्र मौ0 अकरम नि0 बी 263, गली न0 20 सुभाष मौहल्ला नोर्थ घोंडा थाना भजनपुरा दिल्ली 53 उम्र 23 वर्ष 3. मो0 आसिम पुत्र मो0 इरफान नि0 27/20 गली न0 6 संगम विहार थाना तिमारपुर बजीराबाद दिल्ली उम्र करीब 23 बर्ष को कनावनी पुलिया ग्रीन वेल्ट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरान्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अरशु उर्फ समीर व अभियुक्त नोसीन उपरोक्त से मोबाइल व चैन लूट की घटनाओं के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी , पूछताछ में दोनों अभि0 ने मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु अभियुक्तगण के बताये हुये स्थान की ओर थाना इंदिरापुरम से रवाना होकर हिण्डन बैराज के पास पहुंचे तो अभियुक्तगण उपरोक्त ने गाडी रुकवायी तथा अभियुक्तगण द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु हिण्डन बैराज की झाडियों में घुसकर दोनों अभियुक्तो ने अपने–अपने तमंचे निकालकर जो पहले से ही लोडेड थे। पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जिसके उपरान्त पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये बहादुरी का परिचय देते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी व न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुये दोनों अभियुक्तों के पैर में निशाना लगाकर फायर किया गया। जिससे अभियुक्त अरशु उर्फ समीर के दाहिने पैर की पिंडली मे गोली लगी तथा अभियुक्त नोसीन के भी दाहिने पैर की पिंडली के पास में गोली लगी। जिससे अभियुक्तगण घायल होकर नीचे गिर गये बिना देरी किये हम पुलिस टीम द्वारा पुनः अभियुक्तगण अरशु उर्फ समीर व अभियुक्त नोसीन को दिनांक 12.09.2024 को 02 नाजायज तमंचा, 01 जिन्दा मिस कारतूस व 01 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. अरशु उर्फ समीर पुत्र यासीन निवासी 27/20 गली न0 6 संगम विहार थाना तिमारपुर बजीराबाद दिल्ली उम्र 23 बर्ष ।
2. नोसीन पुत्र मौ0 अकरम निवासी बी 263, गली न0 20 सुभाष मौहल्ला नोर्थ घोंडा थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र 23 वर्ष।
3. मो0 आसिम पुत्र मो0 इरफान निवासी 27/20 गली न0 6 संगम विहार थाना तिमारपुर बजीराबाद दिल्ली उम्र करीब 23 बर्ष।

बरामदगी का विवरण

02 तमंचा,01 जिन्दा मिस कारतूस, 01 खोखा कारतूस, लूट की 01 चैन पीली धातू, लूट व स्नैचिंग के सामान को बेचकर प्राप्त 32,300/- रू0 व घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

1. अभियुक्त अरशु उर्फ समीर उपरोक्त पर दिल्ली व एनसीआर में लूट व स्नैचिंग से संबंधित 26 अभियोग पंजीकृत है।
2. अभियुक्त नोसीन उपरोक्त पर लूट व स्नैचिंग से संबंधित 10 अभियोग पंजीकृत है।
3. अभियुक्त आसिम उपरोक्त पर लूट व स्नैचिंग से संबंधित 05 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.09.2024 को थाना लोनी पर वादी श्री सुहैल पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा वादी व वादी के भाई अनस के साथ अभियुक्तों 1.फैज पुत्र कासिम 2.सोहेब पुत्र मोमीन 3.आजिम पुत्र रियासत 4.सालिम पुत्र इकराम निवासीगण चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार व लाठी डण्डो से हमला करना व धमकी देने के सम्बन्ध मे तहरीर दी गई । जिसके सम्बध में थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 12.09.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1.फैज पुत्र कासिम 2.सोहेब पुत्र मोमीन 3.आजिम पुत्र रियासत समस्त निवासी गण ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र लोनी चिरौडी से गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त आजिम की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तों के अन्य साथी की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि हम तीनो गाँव चिरौडी मे एक मोहल्ले के रहने वाले है। हम आपस मे दोस्त है। दो दिन पहले आजिम के छोटे भाई नाजिम का वादी सुहैल के छोटे भाई अनस से स्कूल में आने जाने की बातो को लेकर झगडा, कहासुनी व गाली गलौच हो गया था। सुहैल ने आजिम के भाई नाजिम के साथ गाली गलौज कर भगा दिया था। नाजिम ने सारी बात आजिम को बतायी फिर हम सबने मिलकर सुहैल व अनस के साथ लाठी डन्डो से मारपीट की व आजिम ने चाकू से सुहैल पर जान से मारने की नियत से वार किया और मौके से गाली गलौज व धमकी देकर वहाँ से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. फैज पुत्र कासिम निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष
2. सोहेब पुत्र मोमीन निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष
3.आजिम पुत्र रियासत निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

बरादगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना लोनी पर अभियुक्तों के विरूद्ध मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से वार करना व जान से मारने की धमकी देना के सम्बध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.08.2024 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 17.08.2024 को समय करीब 09.15 बजे मेरी पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को फईम उर्फ फईमुद्दीन उर्फ भोला पुत्र यासीन निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष, बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। उक्त शिकायत पर थाना भोजपुर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई। तत्पश्चात बरामद पीड़िता के बयानों के आधार पर धारा में बढ़ोतरी की गई तथा आज दिनांक 13.09.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त फईम उर्फ फईमुद्दीन उर्फ भोला पुत्र यासीन निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त फईम ने पूछने पर बताया कि मैं इस लड़की को पिछले काफी समय से जानता था और हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे। दिनांक 17.08.2024 को मैं मौका देखकर इस लड़की को अपने साथ ले गया और बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

फईम उर्फ फईमुद्दीन उर्फ भोला पुत्र यासीन निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा लूट की योजना बनाते हुए अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 13.09.2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कल्लुगढी झुण्डपुरा रोड डीएमई एक्सप्रेस वे के अण्डरपास के नीचे से लूट की योजना बनाते हुए अभियुक्त राशिद पुत्र फारुक निवासी मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद मूल निवासी वावन चौकी पीरवाली गली बुलन्दशहर, उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए तथा इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त राशिद पुत्र फारुक निवासी मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद मूल निवासी वावन चौकी पीरवाली गली बुलन्दशहर उम्र करीब 28 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब हम लोग राह चलते लोगों के साथ लूट करते हैं तथा मैने यह तमन्चा लोगों को डरा धमकाने के लिए रख लिया था तथा जो तमंचा मेरे पास से मिला है वह मैं अपने पास रखता हूँ ताकि यदि कोई व्यक्ति लूट करने का विरोध करे तो मैं तमंचा दिखाकर डरा सकूं। मौके से मेरे कुछ साथी भाग गये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता</u>

राशिद पुत्र फारुक निवासी मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद मूल निवासी वावन चौकी पीरवाली गली बुलन्दशहर, उम्र करीब 28 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

1. अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 312/313 बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत किया गया है।

2.अभियुक्त राशिद उपरोक्त पर पूर्व में थाना मसूरी पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

थाना मसूरी पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.07.2024 को एक पीडिता द्वारा थाना शालीमार गार्डन पर शिकायत दी गई कि उसके साथ अजहर पुत्र इरशाद निवासी जी 17 जयपाल चौक शहीदनगर साहिबाबाद द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना शालीमार गार्डन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 13.09.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वाँछित अभियुक्त अजहर पुत्र इरशाद निवासी जी 17 जयपाल चौक शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

अजहर पुत्र इरशाद निवासी जी 17 जयपाल चौक शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा HDFC Life Insurance Policy Renewal के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद तथा थाना कौशाम्बी व थाना कविनगर की 2 घटनाओं सहित 9 राज्यों की 39 साइबर फ्रॉड की घटनाओं का खुलासा

HDFC Life Insurance Policy Renewal के नाम पर श्रीमती रजनी गोयल निवासी कौशाम्बी गाजियाबाद के साथ 4 लाख रुपये तथा सुश्री साक्षी मडके के साथ 1 लाख रुपये के साइबर फ्रॉड की घटना से सीधे जुडे दो अभियुक्तों को दिनांक 12.09.2024 को गिरफ्तार कर थाना कौशाम्बी व थाना कवि नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद के दो मुकदमों का अनावरण करते हुए कुल 9 राज्यों में घटित 39 साइबर अपराध की घटनाओं का खुलासा किया गया।

इन अभियुक्तों द्वारा 9 राज्यों में घटित 39 घटनाओं के पीडितों तथा मुकदमे के विवेचकों से सम्पर्क कर उनके मुकदमे में इनके विरुध्द अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका

साइबर अपराधियों द्वारा काल सेन्टर में काम करने के दौरान HDFC लाईफ इन्श्योरेन्स के कस्टमर का डाटा चुराकर HDFC लाईफ इन्श्योरेन्स के कर्मचारी बनकर HDFC Life Insurance के पालिसी धारकों को काल कर खुद को हैड क्वाटर मुम्बई का बताकर HDFC लाईफ इन्श्योरेन्स की पालिसी लैप्स होने की बात कहकर किश्त ना जमा करने पर पालिसी लैप्स हो जाने का भय दिखाकर झांसे में लेकर अपने बताये हुए खातों में रुपये जमा कराकर कूट रचित रसीद पालिसी धारक को भेजकर फ्रॉड किया जाता है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त गण साइबर फ्रॉड कालिंग हेतु कीपेड वाले मोबाइल उपयोग करते थे तथा उस नम्बर की व्हाट्स स्मार्टफेन में चलाते थे स्मार्ट फोन से व्हाट्सअर पर पालिसी धारक को कूटरचित रसीद भेजा करते थे, कालिंग करने के उपरान्त सिम फेंक दिया करते थे। अभियुक्तों को सिम तथा बैंक खाता वैशाली गाजियाबाद निवासी फहाउद्दीन उर्फ फहाद नामक व्यक्ति उपलब्ध कराता था। अभियुक्त गण कार्य दिवसों में काल करने के बाद सप्ताहान्त मनाने के लिये पहाडों पर चले जाते थे। साइबर अपराध से अर्जित पैसा ये लोग फहाद से कैश में लेते थे। फहाद 25% कमीशन लेता था।

अभियुक्त ऋषभ राजपूत कक्षा 10वीं तक पढा है तथा इस अपराध का यही मास्टरमाइण्ड है। ऋषभ ने BCA पास सुमित कुमार को अपने साथ 15000 रुपये मासिक वेतन पर साइबर फ्रॉड की कालिंग करने एवं HDFC Life Insurance Policy Renewal की कूटरचित रसीद बनाने का काम करवाता था।

अभियुक्तों से गाजियाबाद निवासी रजनी गोयल से लाख रुपये की एवं साक्षी मडके नामक महिला से 1 4 लाख रुपये की ठगी राजवीर देसाई बनकर की थी तथा उसे मैंने इन दोनों को पालिसी रिन्यूवल की फर्जी रिसीप्ट बनाकर भेजी थीएवं मुरादाबाद निवासी विचित्र कुमार से ठगी करने के दौरान ही इन लोगों को दिनांक 12.09.2024 को थाना क्षेत्र विजय नगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त ऋषभ राजपूत के मोबाइल में विचित्र कुमार को भेजी गई HDFC Life Insurance Policy Renewal की कूटरचित रसीद मिली तथा पालिसी धारकों को काल करने हेतु प्रयोग किये गये कीपेड मोबाइल भी बरामद हुए।

अभियुक्तों ने **उत्तर प्रदेश के** जौनपुर निवासी रणविजय पटेल, पीलीभीत निवासी मौहम्मद सिराज शमसी,सुगन्धा, सहारनपुर निवासी वाहिद अहमद,मौहम्मद अदनान, अनीता, लखनऊ निवासी सौरभ वर्मा, महोबा निवासी बल्दू, कौशाम्बी निवासी रोहन गोयल, आगरा निवासी नागेन्द्र प्रताप सिंह,कार्तिक, अयोध्या निवासी राम जी मौर्या, बरेली निवासी आकिव हुसैन, मेरठ के स्पर्श धुपर, गोंडा निवासी चन्द्रभाई, **राजस्थान के**

जयपुर निवासी विजयपाल, नीलेश शर्मा, मोहन लाल अग्रवाल, ज्योति, महेश कुमार रजवानी, हेमन्त चौधरी , अजमेर के शंकर, **मध्यप्रदेश के** विदिशा निवासी अनिल कुमार दुबे, रतलाम निवासी अवनी बरमेचा, **उत्तराखण्ड के** देहरादून निवासी लक्ष्मण सिंह, इरफान, हरिद्वार के सुनील कौशिक, **बिहार के** गौपालगंज निवासी मुदस्सिर अकरम, **दिल्ली** निवासी सुभाष चन्द , **गुजरात के** महसाना निवासी, **महाराष्ट्र के** मुम्बई निवासी मिराज शेख, **झारखण्ड के** बोकारो निवासी अजय कुमार, **तेलंगाना के** हैदराबाद सिटी के मोहम्मद वाहिद के साथ HDFC Life Insurance Policy Renewal साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. ऋषभ राजपूत पुत्र श्री रामसेवक सिंह हाल पता फ्लैट नं ,10142 0फर्स्ट फ्लोर ,Q टावर14 ,th एवेन्यू, गौर सिटी 2, ग्रेटर नोएडा, थाना बिसरख जिला गौतमबुद्ध नगर व मूल निवासी म,0नं0 41/20 गली नं,9 0 अर्दली बाजार, थाना पाण्डेपुरी ,जिला वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष
2. सुमित कुमार रावत पुत्र श्री श्याम सुन्दर रावत निवासी म 0नं0 एफ 08 सैक्टर 12थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण - 04 अदद मोबाइल फोन01 , अदद आधार कार्ड0 ,2 अदद पैन कार्ड ,01 अदद डीएल कार्ड 5 ,अदद बैंक कार्डअदद सिम 04 ,

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा मारपीट व हत्या का प्रयास करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.09.2024 को वादी रिजवान द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें अभियुक्तगणों द्वारा वादी व उसके परिजनो को जान से मारने की नियत से फायर करना व धारदार हाथियार से हमला करने की सूचना पर थाना विजयनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण –अभियोग में टीम गठित कर तत्काल कार्यवाही करते हुये मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 13.09.2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1. सोहेल 2. रहीम 3. इस्माइल 4. जाकिर 5. सैफ अली को **झुग्गी झोपड़ी चांदमारी** से गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सोहेल पुत्र रियाकत अली चांदमारी निवासी झुग्गी झोपड़ी प्रतापविहार थाना विजय नगर गाजियावाद उम्र 21 वर्ष।

2. रहीम पुत्र रियाकत अली चांदमारी निवासी झुग्गी झोपड़ी प्रतापविहार थाना विजय नगर गाजियावाद उम्र 20 वर्ष।

3. इस्माइल उर्फ इब्राहिम पुत्र सिराज निवासी चांदमारी झुग्गी झोपड़ी प्रतापविहार थाना विजय नगर गाजियावाद उम्र 21 वर्ष।

4. जाकिर पुत्र तिलकशा निवासी चांदमारी झुग्गी झोपड़ी प्रतापविहार थाना विजय नगर गाजियावाद उम्र 25 वर्ष।

5. सैफ अली पुत्र दिलशाद निवासी चांदमारी झुग्गी झोपड़ी प्रतापविहार थाना विजय नगर गाजियावाद उम्र 25 वर्ष।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब कल हमारा रिजवान व उसके परिवार वाले के साथ टैम्पो खड़ा करने को लेकर झगडा हो गया था। जिसमें हमारे द्वारा रिजवान व उसके परिवार वालो से लाठी डन्डो से मारपीट की गयी थी तथा रिजवान की कार में तोड़फोड़ की थी। साहब गलती हो गयी।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना विजयनगर पुलिस टीम।